

भरतपुर

1/25

अपीलान्ट मोंगीलाल के कौत होने पर उनके वारिसान देवदास वर्गे की ओर से एडवोकेट दिनेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिस्ट्री किया गया अपीलान्ट के वारिसान की ओर से जोरिचे वकालत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मोंगीलाल कौत हो चुके हैं। उनके पुत्र देवदास पुत्र. मोंगीलाल ने प्रार्थना पत्र के साथ शेष कायम मुकाम का मुख्तयारनामा ख्वास की फौजे डाल पेश की जो शां. सि. की गई। चौथे अधिवक्ता अपीलान्ट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अपील इसी स्तर पर ख्वाजेन किये जाने की प्रार्थना की है।

इसफो. सं. 1, 2, 6, 7 की ओर

मोंगीलाल पापा

अपीलान्ट कपी के
 चकण मसी पटोके
 इमी एडवोकेट
 एडवोकेट दिनेश शर्मा
 एडवोकेट

No objection

दी
 वकील इलाहाबाद



से ए50 सोनीराय का वकालतनामा पेश हुआ।
जो शामिल किया गया। इसी की
ओर से जॉर्जे वकालत एवं प्रार्थना पत्र
इस आदेश को पेश किया है कि राजस्व
मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12/6/25
से इसी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक
आपत्ति स्वीकार किया गया है। इसलिए
अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अपील
खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।
तथा ऑर्डर शीट पर भी अपील खारिज
किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना
बोकाया गया है। वकालत अपीलान्ट ने
भी अपील इसी स्तर पर खारिज किये
जाने का नोट ऑर्डर शीट पर बोकाया
किया है।

राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर के
निर्णय दिनांक 12/6/25 का अवलोकन किया
गया। राजस्थान न्यायालय ने अपने निर्णय
दिनांक 12/6/25 में इस न्यायालय के आदेश
दिनांक 30/4/2002 को निरस्त किया है तथा
जॉर्जे/इसपी. का प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र
एवं निगरानी को स्वीकार किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट एवं
इसपी. की सहमति के आधार पर एवं राजस्थान
राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक
12/6/2025 के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट
इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।
पत्रावली फैल्ल शुमार हो बाक कागजाती
दाखिल दफतर हो।

जिला कलेक्टर
भरसपुर